अध्याय II

अनन्तिम निर्धारण (सीमा शुल्क)

2.1 प्रस्तावना

अंन्तिम निर्धारण(पीए), विलम्ब शुल्क प्रभारों या अन्य वित्तीय हानियों के भुगतान के रूप में कठिनाई से बचने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत आयातक/निर्यातक को दिया गया एक सरलीकरण उपाय है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2011 की स्व:निर्धारण प्रणाली के प्रारम्भ से आयातक या निर्यातक को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अनुसार शुल्क का स्वत: निर्धारण करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यह स्व:निर्धारण सीमा शुल्क के उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है। यदि एक आयातक या निर्यातक स्व:निर्धारण करने में असमर्थ है, तो वह आयातित माल निर्यातित माल के निर्धारण के लिए लिखित में उचित अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। ऐसे मामलों में एवं अन्य परिस्थितियों में जैसे सुसंगत सूचना अथवा दस्तावेजों की अनुपलब्धता या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 में उल्लिखित किसी अन्य कारण से कारण, से उचित अधिकारी को जहां आवश्यक समझे आगे जांच करने के लिए निर्देश दे सकता है कि शुल्क को अनन्तिम रूप से निर्धारित किया जाता है और माल की निकासी को रोकने के रूप में उचित प्रतिभूति सहित बाँड लेने के साथ ऐसे माल की निकासी अनुमत करता है।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए की गई थी कि क्या;

(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क (अनन्तिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 और मूल्यांकन नियमपुस्तिका में तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और पद्धतियों का अनुपालन किया गया था।

(ii) अनुचित विलंब के बिना और राजकोष से राजस्व की हानि किए बिना अनन्तिम निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाता है और

(iii) अनन्तिम निर्धारण सुविधा के दुरूपयोग के प्रति सतर्कता के लिए आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र स्थापित हैं।

2.3 कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

94 सीमाशुल्क कमिश्नरियाँ हैं। जिनमें से 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि को कवर करते हुए पेन इंडिया आधार पर 42 कमिश्नरियों **(अनुबंध 4)** से संबंधित संबंध अभिलेख/दस्तावेज और बिल की प्रविष्टि (बीएसई)/शिपिंग बिल (एसबीएस) का अनन्तिम निर्धारण पर लेखापरीक्षा करने के लिए चयन किया गया था।

42 चयनित कमिश्नरियों में से 26 कमिश्नरियाँ **(अनुबंध 5)** ने परिवर्ती सीमा तक लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई सूचना उपलब्ध कराई और शेष 16 कमिश्नरियों **(अनुबंध 6)** ने कोई सूचना नहीं दी। तथापि, सभी पर 42 कमिश्नरियों की सीमा शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग के विभिन्न फील्ड फॉर्मेशन द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी।

इन पहलुओं पर सूचना माँगी गई थी किंतु कमिश्नरियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। मंत्रालय अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक अखिल भारतीय स्थिति प्रस्तुत कर सकता है।

2.4 नमूना चयन

5 करोड़ से अधिक के निर्धारणीय मूल्य सहित अनन्तिम रूप से निर्धारित बिल की सभी प्रविष्टि/शिपिंग बिल्स, 1 करोड़ से 5 करोड़ (अधिकतम 1000 मामलें) के मूल्य वाले 50 प्रतिशत बिल और 1 करोड़ के (अधिकतम 1000 मामले) मूल्य वाले 25 प्रतिशत के बिल लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए थे।

तालिकाः अनन्तिम निर्धारण की तुलना में कुल निर्धारण

वर्ष	प्रस्तुत एवं निर्धारित प्रविष्टि बिलों/शिपिंग बिल की कुल सं.		अनन्तिम रूप से निर्धारित प्रविष्ट बिल/शिपिंग बिल			कुल निर्धारिणों के अनन्तिम निर्धारणों की प्रतिशतता	कुल निर्धारणीय मूल्य के निर्धारणीय मूल्य की प्रतिशतता
	सं.	निर्धारणीय मूल्य (₹ करोड़)	सं.	निर्धारणीय मूल्य (₹ करोड़)	बांड मूल्य (₹करोड़)		
2011-12	2178496	965841	110298	382991	68485	5.06	39.65
2012-13	2172426	1337098	137568	602488	68910	6.33	45.06
2013-14	1718783	1257364	143675	662216	62012	8.36	52.67
कुल	**6069705**	**3560303**	**391541**	**1647695**	**199407**		

स्रोतः तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली के संबंध में डीजी (प्रणालियों) से प्राप्त डाटा

राज्यः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित/इकाइयों द्वारा दिए गए डाटा को गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में अपनाया गया था। 15 कमिश्नरियों[11] द्वारा डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

[11] पश्चिम बंगाल (कोलकाता पत्तन, कोलकाता एयर, आईसीडी दुर्गापुर, सिलिगुड़ी- निरोधक) मेघालय (शिलॉंग), महाराष्ट्र (एनसीएच क्षेत्र-1 (4), एनसीएच क्षेत्र II (3), एसीसी क्षेत्र III (2)

अनन्तिम निर्धारणों के विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान अनन्तिम रूप से निर्धारित मामलों की प्रतिशतता 5.06 से 8.36 तक बढ़ गई थी। इसी प्रकार से, कुल निर्धारणीय मूल्य का निर्धारणीय मूल्य का प्रतिशत 2011-12 के दौरान 39.65 से वर्ष 2013-14 के दौरान 52.67 तक बढ़ गया था।

तालिकाः अंतिम रूप दिए गए कि तुलना में अनन्तिम रूप से निर्धारित मामले

वर्ष	अस्थायी रूप से निर्धारित मामलें		अंतिम रूप दिए गए मामले	
	सं.	बाडं मूल्य (₹.करोड़)		सं.
2011-12	50475	64075	6877	24062
2012-13	48096	72620	12363	30783
2013-14	21468	53874	9214	21215
कुल	**120039**	**190569**	**28454**	**76060**

स्रोतः तमिलनाडु, केरल ओर कर्नाटक के संबंध में डॉटा डीजी (प्रणालियों) से लिया गया था। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय राज्यों में डाटा विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1. *बांड मूल्य में पंजाब और हरियाणा राज्यों के संबंध में 3152 बॉड (अनन्तिम रूप से निर्धारित) और 1659 बांड (अंतिम रूप से निर्धारित) का मूल्य शामिल नहीं है।*
2. *वर्ष 2013-14 के लिए डाटा केवल दो महीनों के लिए प्रस्तुत/संकलित किया गया था अर्थात अप्रैल और मई 2013 क्योंकि डीजी (प्रणाली), सीबीईसी से शेष महीनों के लिए कोई डाटा प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए अनन्तिम निर्धारणों की कम संख्या उनका बांड मूल्य था। तथापि, वर्ष 2013-14 के लिए दो महीनों के लिए अंतिम रूप दिए गए अनन्तिम निर्धारणों की प्रतिशतता 43 प्रतिशत थी जबकि यह वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्रमशः यह 14 और 26 प्रतिशत थी।*

2.5 अनन्तिम निर्धारणों पर सीबीईसी द्वारा अनुरक्षित डाटा का व्यवस्थित कमी और खराब गुणवत्ता

2.5.1 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 आयात और निर्यात दोनों के लिए इलैक्ट्रॉनिक घोषणाओं की फाइलिंग का आदेश देता है। सामान्यतः हस्तय फाइलिंग की केवल विशेष मामलों में ही अनुमति हैं जहॉ ईडीआई से संबंधित इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) या प्रचालन संबंधी मामलों की गैर-

उपलब्धता के कारण इलैक्ट्रॉनिक घोषणाओं को फाइल करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में सीमाशुल्क कमिश्नर का अनुमोदन अपेक्षित है।

दिनांक 02/06/2014 का स्थायी आदेश 05/2014 के जारी करने के बाद अनन्तिम निर्धारणों का हस्तय अन्तिम रूप देना अब भी जारी है। आगे, आईसीईएस 1.5 मॉड्यूल ने इसकी सभी कार्यात्मकता सहित अनन्तिम निर्धारण मोडॅयूल को सम्मिलित नहीं किया।

मंत्रालय ने इसके पहले के उत्तर में सूचित किया था कि "इलैक्ट्रॉनिक रूप से बीईज और एसबीस की अनिवार्य रूप से फाइलिंग के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने एफ सं. 401/81/2011- सीशु. III दिनांक 4 मई 2011 के द्वारा अनुदेश जारी किए थे कि केवल दुर्लभ और वास्तविक मामलों में ही हस्त्य प्रसंस्करण और निकासी अनुमत होगी और आगे हस्त्य दस्तावेजों को अनुमति देने का प्राधिकार केवल सीमाशुल्क कमिश्नर के पास निहित होगा"।

2.5.2 आईसीई एस 1.5 संस्करण के तहत अनन्तिम निर्धारण निगरानी प्रणाली में लेखापरीक्षा ने कमियाँ देखी-

प्रणाली और डाटा प्रबंधन के निदेशालय ने अनन्तिम रूप से निर्धारित बिलों के ऑनलाइन अन्तिम रूप देने के लिए और अनन्तिम रूप से निर्धारित बीई/एसबी के अंतिम रूप देने में लम्बन की निगरानी के लिए अप्रैल 2014 में आईसीईएस 1.5 में पीए प्रविष्टि बिलों के अंतिम रूप देने के लिए एक मॉड्यूल प्रारंभ किया था। मॉड्यूल केवल चार कमिश्नरियों में फरवरी 2015 से लागू किया जा रहा था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रणाली से अनन्तिम निर्धारणों, जांच रिपोर्ट दस्तावेजों की प्राप्ति, बॉड अथवा बैंक गारंटी (बीजी) के पुनर्वेधीकरण आदि के लंबन की निगरानी के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त निम्न कमियों के परिणामस्वरूप अनन्तिम निर्धारण के मामलों की निगरानी का अभाव था।

i. विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए निष्पादित बांड के प्रति अनन्तिम शुल्क बांड में अंतर करने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के लम्बन, मूल्यांकन जैसे या कोई किसी विशेष कारण से

अनंतिम निर्धारण का सहारा लेने के कारणों का प्रणाली से पता नहीं लगाया जा सका।

ii. ब्यौरा जैसे कि अंतिमरूप देने की तिथि,अंतिम रूप नहीं देने के कारण, बांड/बीजी का पुनर्वेधीकरण, प्रदत्त अनन्तिम शुल्क का ब्यौरा, निर्धारित अंतिम शुल्क, ईडीआई में वर्तमान मॉड्यूल्स से सृजित नहीं किया जा सका।

iii. दिनांक 02/06/2014 के स्थायी आदेश 05/2014 के जारी हाने के बाद भी अनन्तिम निर्धारणों का हस्त्य अंतिम रूप देने अभी भी बना हुआ है।

iv. अंतिम निर्धारण नवम्बर 2014 तक हस्त्य रूप से किया गया था एवं इस प्रकार ईडीआई प्रणाली में दिखाया गया लम्बित अनन्तिम निर्धारणों में डाटा वास्तविक लम्बन स्थिति से मेल नहीं खाता है। रजिस्टरों में रखा गया ईडीआई प्रणाली और प्रत्यक्ष डाटा के अनुसार डाटा का मिलान करने की आवश्यक्ता है।

v. आईसीईएस मॉड्यूल में बांड लेजर/बांड मॉड्यूल में चूक किए गए/निरस्त किए गए बांड नहीं दिखाए जाते है।

vi. अनन्तिम रूप से निर्धारित और अंतिम रूप दिए गए प्रविष्टि बिलों/शिपिंग बिलों की संख्या पर पृथक रिपोर्ट को ईडीआई प्रणाली से सृजित नहीं किया जा सका।

vii. वर्ष-वार पंजीकरण और अनन्तिम निर्धारणों के लम्बन पर रिपोर्ट सृजित नहीं की जा सकी।

viii. अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) के उद्ग्रहण के लिए मॉड्यूल विद्यमान नहीं है और उसे मैनुअली उद्ग्रहीत किया जा रहा है।

ix. यह मॉड्यूल मासिक रिपोर्टो, समूह-वार (कमिश्नरी के अन्दर) और कमिश्नरी के लिए समेकित रिपोर्ट सृजित करने में असमर्थ था।

x. एसीसी बैंगलुरू में, 34 बांड के तहत फाइल किए गए 1455 प्रविष्टि बिल मार्च 2015 के दौरान बंद कर दिए गए थे। तथापि, बांड प्रबंधन मॉड्यूल के तहत उनके बन्द करने का तथ्य को ईडीआई प्रणाली से सत्यापित नहीं किया जा सका।

सीबीईसी इसके सुविधा उपाय की पान इण्डिया पर उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रभाव की जांच कर सकती है।

2.5.3 2011 से 2014 तक की अवधि के लिए अनन्तिम निर्धारणों का साकल्यवादी चित्रण प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा सीबीईसी वेबसाइट (www.cbec.ddm) से या वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से अखिल भारतीय डाटा का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए सीबीईसी द्वारा अनुरक्षित डाटा की खराब गुणवत्ता के कारण कोई प्रवृत्ति विश्लेषण नहीं किया जा सका।

2006-07 की पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के दौरान लेखापरीक्षा सिफारिश के बाद अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने के छह महीने की समय-सीमा प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 2011 से 2014 तक की अवधि को कवर किया गया है, तथापि, पता चला कि समय-सीमा के प्रारम्भ करने के बावजूद असामान्य विलम्ब बना रहा।

कर दाता सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य के साथ, सीबीईसी 2015-16 के परिणाम ढाँचा दस्तावेज (आरएफडी) द्वारा कार्रवाई बिन्दु (बी.4.1) के रूप में अनन्तिम निर्धारणों के अंतिम रूप देने पर विचार किया गया था। तथापि वि.व 2014-15 तक सीबीईसी द्वारा कोई प्रवृत्ति मूल्य नहीं दर्शाया था। 6 महीने से अधिक लम्बित मामलों की प्रतिशता के रूप में एक सफल सूचक निर्धारित किया गया था, तथापि ₹ 108389.37 करोड़ से अधिक मूल्य वाले बांड सहित 36,000 से अधिक मामले है। वि.व 2015-16 के लिए भी सीबीईसी इस निष्पादन को श्रेष्ठ मानेगी यदि पीए मामलों का 40 प्रतिशत छः महीनों के बाद लंबित रहे।

अध्यक्ष, सीबीईसी के द्वारा सरकार के मुख्य मिशन के रूप में कारोबार करने में सुधार बताये जाने (05 अगस्त 2015) के बावजूद, कर दाता सेवाएं सुधारने के लिए पीए मामलों हेतु सीबीईसी द्वारा लक्ष्य निर्धारित करना अपर्याप्त लगता हैं।

अनंतिम निर्धारणों पर सूचना मंगाई गई थी परंतु कमिश्नरी, डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। मंत्रालय को अप्रैल 2011 से मार्च 2015 से लेखापरीखा की अखिल भारतीय स्थिति को प्रस्तुत करना है।

अनन्तिम निर्धारण सुविधा/प्रक्रिया के दुरूपयोग के प्रति बचाव हेतु आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र अपर्याप्त हैं।

2.6 अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण

मूल्य निर्धारण नियमपुस्तिका खण्ड II के पैरा 14 के अनुसार अनन्तिम ड्यूटी (पीडी) रजिस्टर (फार्म 321 सीबीआर) में किये गए प्रत्येक अनन्तिम निर्धारण की प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है। ऐसे मामलों से संबंधित सभी विवरण जैसे पंजीकरण से उनका अंतिम रूप दिये जाने तक अर्थात आयातक का नाम, माल का विवरण, प्रविष्टि बिलों की संख्या, माल का मूल्य, अनन्तिम निर्धारण हेतु कारण, देय शुल्क, बांड के विवरण और उनकी वैधता अवधि आदि अभिलेखित किया जाता था। फार्मेट का कॉलम 16 और 22 अनन्तिम/अंतिम निर्धारण पर शुल्क राशि हेतु विशेष रूप से संबंधित थे। रजिस्टर भी दस्तावेज के प्राप्ति की तिथि, जांच परिणाम आदि को दर्ज करने के लिए भी उपलब्ध कराये गये थे। मामलों को अंतिम रूप दिये जाने पर, अंतरीय शुल्क के प्रतिदाय/संग्रहण से संबंधित विवरण अभिलेखित किये जाने थे और बांड बंद किये जाने थे।

42 कमिश्नरियों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अनन्तिम निर्धारण की प्रभावी निगरानी हेतु आवश्यक और मूल अभिलेख पीडी बांड रजिस्टर को विनिर्दिष्ट फार्मेट में अनुरक्षित नहीं किया गया था और जहां पर भी अनुरक्षित किये गये थे, एक या दो कॉलम को छोड़कर सभी कॉलम खाली छोड़े गये थे। महत्वपूर्ण विवरण दर्ज नहीं किये गये थे और न तो ये रजिस्टर एसी को प्रस्तुत किये जा रहे थे और न ही आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) को मासिक अंतराल पर अग्रेषित किये गये थे।

यह इंगित किये जाने पर दिल्ली कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मई 2015) कि प्रत्यक्ष अभिलेखों का अनुरक्षण ईडीआई को आरंभ किये जाने के कारण रूक गया था क्योंकि सारी सूचना सिस्टम में उपलब्ध थी। तथापि सिस्टम में उपलब्ध बताई गई सूचना के बावजूद, सभी कमिश्नरियां सांख्यिकीय डाटा जैसे अनन्तिम निर्धारणों की संख्या और 2011-14 की अवधि हेतु अनन्तिम निर्धारणों की लंबन स्थिति की तुलना में निर्धारणों की कुल संख्या का सार देने में असमर्थ थी।

अहमदाबाद कमिश्नरी के प्राधिकारियों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं कि सभी हस्त्य रूप से संसाधित अनन्तिम निर्धारण मामलों का माडयूल मे अद्यतन किया जाना है।

आईसीडी दुर्गापुर प्राधिकारियों ने बताया कि पीडी रजिस्टर के सभी कॉलम ''पीडी बान्ड की वैद्यता'' के कॉलम को छोड़कर रखरखाव किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के समय पर यह ध्यान में आया था कि पीडी रजिस्टर में सभी कॉलम पूरी तरह से भरे हुए नहीं थे और अनन्तिम निर्धारण का सहारा लेने के लिए करणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

2.6.1 सभी 42 कमिश्नरियों में अनन्तिम रूप से निर्धारित किये गये मामलों के परिणाम, बांड की पुन: वैधता आदि ट्रैक करने के लिए बेहतर निगरानी तंत्र और आंतरिक नियंत्रण अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने में अनुचित विलंब हुआ और सरकारी राजस्व का अवरोधन और आस्थगतन हुआ जैसा कि **अनुबंध 7** में दर्शाया गया है।

2.7 कॉल बुक रजिस्टर में मामलों का लंबन

दिनांक 30 मार्च 1998 के परिपत्र सं. 385/18/1998 सीशु के साथ पठित सितम्बर 1990 में जारी किये गये बोर्ड के परिपत्र सं. 53/1990 सीशु के अनुसार कॉल बुक मामलों की कॉल बुक में रखे गये मामलो के निपटान की प्रगति की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर मासिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।

चार कमिश्नरियों[12] में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कॉल बुक रजिस्टर में 961 मामले रखे गये थे जिनका अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया था और अंतिम रूप दिया जाना लंबित था। अतः ये मामले लंबित मामलों के मासिक विवरण में शामिल नहीं किये गये और सीबीइसी द्वारा निगरानी से रह गये जैसा कि **अनुबंध 8** में सूचीबद्ध किया गया है।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि सभी बीई को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[12] गुजरात (सीमाशुल्क हाऊस, जामनगर), केरल (कोच्ची), उत्तरप्रदेश (नोएडा), मुबंई (आयात)

2.8 पीडी बॉंड के लंबन की गलत रिपोर्ट करना

एक महीने के दौरान कार्य के निपटान से संबंधित कमिश्नरियों के निष्पादन को एमटीआर फार्म में समेकित किया जाएगा और महानिदेशक निरीक्षण सीवीइसी को आगे प्रेषण हेतु मुख्य कमिश्नर सीमा शुल्क को प्रत्येक महीने भेजे जाएंगे।

15 कमिश्नरियों[13] में पीडी बांड रजिस्टर और एमटीआर की लेखापारीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 9663 पीडी बांड, 4770 पीडी बांड के लंबन के प्रति एमटीआर में सूचित किया गया। यह दर्शाता है कि विभाग ने या तो अनन्तिम निर्धारणों के लंबित मामलों के बांड मूल्यों के साथ-साथ बांडों की संख्या की अधिक रिपोर्ट या कम रिपोर्टें की थी। गलत रिपोर्ट करना विभाग में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी का सूचक था।

एनसीएच, मुम्बई ने उत्तर दिया कि (जुलाई 2015) पीडी बांड रजिस्टर और एमटीआर को अद्यतित किया गया और सुधारा गया। अंतिम उत्तार प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

लेखापरीक्षा का मत है कि आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र को अंतिम निर्धारण स्तर तक अनंतिम निर्धारणों की प्रक्रिया की प्रभावी मैपिंग हेतु सुदृढ़ किया जा सकता है।

अहमदाबाद कमिश्नरी प्राधिकारियों ने बताया कि (सितम्बर 2015) कि संबंधित फोर्मेशनों को आकड़ों के मिलान के लिए निर्देश दे दिए गए थे।

2.9 निर्धारण समूहो तथा एसबीवी /एसआईआईबी के डाटा के बीच अंतर

विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) आयातित मालके मूल्य पर प्रभाव वाले किसी विशिष्ट विशेषताओं तथा विशिष्ट रिश्ते शामिल करने वाले लेन देन की जांच में विशेषज्ञ है। विक्रेता तथा खरीददार के बीच रिश्ते के कारण कम मूल्यांकन के संदिग्ध मामले निर्धारणयोग्य मूल्य की जांच तथा निर्धारण के लिए संदर्भित है।

[13] कांडला,मुद्रा, जोधपुर, चैन्नै एयर, इंदौर, मुंबई (आयात I और II, निर्यात I और II (एनसीएच जोन I)), एनएस-I, एनएस-III, एनएस-v (जेएनसीएच जोन-II) आयात और निर्यात (एसीसी जांन III), कोलकाता

एसवीबी, मुम्बई से प्राप्त डाटा के अनुसार एसीसी मुम्बई से संबंधित 437 मामले तथा जेएनसीएच, मुम्बई से संबंधित 467 मामलों, कुल 904 मामले, की मार्च 2015 तक अंतिम रूप देने के लिए लम्बित थी। यद्यपि, मार्च 2015 के महीने के लिए एमटीआर ने एसीसी तथा जेएनसीएच मुम्बई के लिए क्रमश: 100 तथ 584 मामलों के रूप में लंबन दिखाया (कुल 684 मामले)। निर्धारण समूह तथा एसवीबी/एसआईआईबी के बीच समन्वय तथा आवधिक सुलह की कमी एमटीआर के माध्यम से प्रतिवेदित मामलो में विसंगति की ओर ले जाता है।

2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए सभी एसवीबी/एसआईआईबी मामलों तथा उनकी वर्तमान स्थिति पर मंत्रालय अखिल भारतीय डाटा प्रस्तुत कर सकती है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि अनंतिम निर्धारण मामलों को समय पर अन्तिम रूप देने को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन के शीघ्र निर्धारण के लिए एसवीबी के तंत्र को सुदृढ किया जा सकती है।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (सितम्बर 2015)।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.10 सीमाशुल्क के संग्रहण से संबंधित नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन को संवर्धित करने की आवश्यकता है।

2.10.1 अनंतिम निर्धारण का अनियमित सहारा लेना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(1) के अनुसार अनंतिम निर्धारण उन मामलो में लागू है, जहां:

(क) आयातक/निर्यातक स्व-निर्धारण करने में सक्षम नहीं।

(ख) उचित अधिकारी किसी आयातित वस्तुओं या निर्यातित मालको किसी रासायनिक या अन्य जांच के लिए आवश्यक समझता हो;

(ग) यथायोग्य अधिकारी आगे जांच करना जरूरी समझना है, यद्यपि आयातक/निर्यातक ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए है;

(घ) आयातक या निर्यातक ने आवश्यक दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत नहीं की हो।

सीबीईसी की सीमाशुल्क नियम पुस्तक का अध्याय 7 (पैरा 3) नियत करता है कि अनंतिम निर्धारण को परियोजना के आयात को छोड़कर अच्छी प्रकार से 6 महीने में अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। यद्यपि 13 कमिश्नरियों[14] के रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 173 प्रविष्टि के बिल अनंतिम निर्धारण के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि अपेक्षित स्पष्टीकरण/दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध थे। सभी दस्तावेज/स्पष्टीकरण होने के बावजूद, विभाग ने अनंतिम निर्धारण की सहायता ली, जिसके परिणामस्वरूप 1 से 4 वर्षों की एक अवधि के लिए शुल्क की वसूली में देरी हुई। **अनुबंध 9** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.11 पीडी बांड की निगरानी तथा उसका मूल्य

सीबीईसी ने जुलाई 1991 में निम्नलिखित के रखरखाव के लिए निर्देश जारी किए (i) समरूपता बनाए रखने तथा विधिक /तकनीकी विषयों से उठने वाले विवादों का ध्यान रखने के लिए कॉमन बांड सैल, (ii) निर्धारित समय सीमा की समाप्ति पर बांडस आमत्रंण को लागू करना, (iii) बांड की शर्तों के गैर अनुपालन के लिए सीमाशुल्क कार्यालय एजेन्टो का उत्तरदायित्व निश्चित करना, (iv) बांड अदायगी दायित्व का कम्प्यूटरीकरण (v) नकद अनुभाग में प्रारंभिक बांड की सुरक्षित अभिरक्षा।

यद्यपि नमूना जांच से पता चला कि एनसीएच, नई दिल्ली में बोर्ड निर्देशों के बावजूद बांड स्वीकृति तथा अदायगी के लिए कोई अलग कॉमन बांड तथा बीजी सैल कार्यरत नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियम ,2011 के विनियम 4 के अनुसार निष्पादित बांड एक अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति के साथ कवर होना चाहिए। उचित अधिकारी आदेश दे सकता है कि इन विनियमों के अन्तर्गत निष्पादित किया जाने वाला बांड, जैसा वह उचित समझे, ऐसी प्रतिभूति या बीमा या दोनो के साथ हो सकता है। अनंतिम शुल्क के 20 प्रतिशत से अधिकता नही वाली एक राशि उचित अधिकारी के पास जमा करानी होती है।

बांड के प्रारूप तथा प्रक्रिया निर्धारित लेखापरीक्षा से निम्नलिखित से संबंधित विश्वास नहीं मिला:

[14] राजस्थान (जोधपुर), तमिलनाडु(चेन्नई सी, चेन्नई एअर), चंडीगढ़ (लुधियाना), महाराष्ट्र (मुम्बई-जेएनसीएच जोन 11(3), पश्चिम बंगाल (कोल्काता) पोर्ट एअरपोर्ट, आईसीडी (सीई) दुर्गापुर)

i. निर्धारित निर्यात/आयात दस्तावेजों के अतिरिक्त, उपयोगी सूचना जो कि बांड द्वारा कैप्चर किए जाते है।

ii. अतिरिक्त सुरक्षा/बचाव प्रावधान जो व्यवसाय करने की सुविधा के अन्तर्गत परिकल्पित उपायों के प्रकाश में निर्यातक/आयातक द्वारा प्रस्तुत बांड/बीजी द्वारा सुदृढ किए गए है।

2.12 अनंतिम शुल्क (पीडी) बांड का अनुपयुक्त कार्यान्वयन

34 कमिश्नरियों[15] के रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि 180735 मामलों में पीडी बांडस (₹ 366478.86 करोड़) विभेदक शुल्क की बजाए पूर्ण निर्धारणीय मूल्य के लिए, लिए गए थे। 7 कमिश्नरियों[16] में, ₹ 26816.38 करोड़ के एक बांड मूल्य के लिए 6196 मामलों में, शुल्क जैसा अंतिम रूप से निर्धारित हो सकता है तथा शुल्क अनंतिम निर्धारित के बीच अन्तर के समान राशि के लिए मूल्य की बजाय, कुल शुल्क अनंतिम निर्धारित या निर्धारण योग्य मूल्य के लिए बांड प्राप्त किए गए थे।

बेंगलुरू कमिश्नरी में, एक प्रविष्टि बिल के संबंध में शुल्क प्रावधानों के उल्लंघन में दो बांड के प्रति डेबिट किया गया।

लुधियाना कमिश्नरी के अन्तर्गत चार मामलों में बांड्स अनंतिम निर्धारण के समय पर प्राप्त नहीं किए गए थे।

हैदराबाद कमिश्नरी ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि निर्धारण योग्य मूल्य के लिए बांड लिए गए जो विभेदक शुल्क से ज्यादा है क्योंकि विभेदक मूल्य अन्तिम निर्धारण के समय पर सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उंचे बांड मूल्य ने राजस्व की गलत तस्वीर दी है जो कि अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के अधीन होने के कारण था। इसके अतिरिक्त, उंचे बांड मूल्य के रूप में आयातक/निर्यातक पर परिहार्य भार डालना, यह सीबीईसी नीति का उल्लंघन है। अन्य कमिश्नरियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

---

[15] गुजरात (कांडला, खोदियार, जामनगर, मुन्दरा) राजस्थान (जोधपुर), बेंगलुरू (एसीसी, आईसीडी, एनसीएच (मेंगुलुरू), चेन्नई (एअर,सी, तुतीकोरन, केरला (कोच्ची) दिल्ली (आईसीडीआयात), आईसीडी(एक्स) एसीसी, एनसीएच (आयात,) एसीसी एनसीएच (एक्स), टीकेडी, आईसीडी परपतगंज, हैदराबाद, कोलकाता पोट्र,कोलकाता एअर आईसीडी –दुर्गापुर, लखनऊ(नोएडा, कानपुर) मुम्बई (एनसीएच जोन (4) जेएनसीएच जोन113), एसीसी जोन 111(2)

[16] अहमदाबाद, जामनगर, कोडला, मुन्दरा, जोधपुर, लुधियाना तथा एनसीएच मुम्बई

अवधि 2011-12 तथा 2012-13 के लिए आईसीईएस 1.5 लेनदेन डाटा के विश्लेषण से पता चला कि कुल 6535736 दर्ज बीएसई में से 435672 बीएसई अनंतिम निर्धारित थे जिनमें से सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) के प्रावधानो के उल्लंघन द्वारा निर्धारण योग्य मूल्य के समान या अधिक राशि के लिए बांड लिए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 55888 बीएसई (12.82 प्रतिशत) में निर्धारण योग्य मूल्य के 5 प्रतिशत से कम राशि के लिए बांड लिए गए थे। अधिक रोचक तथ्य है कि 95 बीएसई में बांड राशि शून्य थी तथा 767 बीएसई में बांड राशि ₹ 1/- से ₹ 10/- के बीच सीमित थी।

2013 से आगे की अवधि के लिए लेनदेन डाटा सीबीईसी द्वारा लेखा को प्रदान नहीं किया गया है जो ऐसे अधिक मामलों को प्रकट करता।

सीमाशुल्क अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, एक पीडी बांड शुल्क जो अंतिम रूप से निर्धारित हो सकता है तथा अनंतिम निर्धारित शुल्क के बीच अंतर के लिए निष्पादित होता है। क्योंकि अनंतिम निर्धारण के समय पर अंतिम शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता, पीडी बांड निष्पादन के लिए निर्धारण योग्य मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत अपनाना समझदारी है।

कोलकाता कमिश्नरी ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि भविष्य में प्रावधानो का अनुसरण करने के लिए प्रयास किए जाएगें। एसीसी, जयपुर ने बताया कि पीडी बान्डस को राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरे निर्धार्य मूल्य के लिए लिया गया था।

मंत्रालय डाटा की संवीक्षा कर सकता है तथा 31 मार्च 2015 को पीडी बांड की स्थिति प्रदान कर सकता है।

2.13 पीडी बांड का गैर पुनर्वेधीकरण

सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली 2011 के विनियम 2(2) के अनुसार, विभेदक शुल्क के समान एक राशि के लिए एक आयातक या निर्यातक एक बांड का निष्पादन करेगा तथा राजस्व की सुरक्षा करने के लिए निर्धारण के अंतिम रूप देने तक बांड प्रभाव में रहेगा। निष्पादित बांड केवल वहां उल्लिखित अवधि के लिए वैध होंगे, यदि वैधता अवधि के अन्दर नवीकृत न कराए जाएं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 15 कमिश्नरियों[17] में आयातकों द्वारा निष्पादित ₹ 16571.11 करोड़ के बांड मूल्य वाले 44673 अनंतिम प्रविष्टिबिल 2005-06 से 2013-14 के दौरान पहले ही समाप्त हो चुके है, यद्यपि इन अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

एनसीएच मैंगलुरू कमिश्नरी पर, मै. टोटल इंडिया लिमिटेड द्वारा निष्पादित ₹ 1190 करोड़ के मूल्य के लिए 43 बांड 2009-2014 के बीच समाप्त हो गए थे। यद्यपि, विभाग ने पुनर्वैधीकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

बांड पुनर्वैधीकरण के लिए कार्रवाई का गैर प्रारंभ बांड प्राप्त करने के उद्देश्य को पराजित कर देता है। विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं किया है (जनवरी 2016)।

2.14 बांड खाते में अधिक डेबिट

बांड का निष्पादन सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए किया जाता है बांड में इसके वास्तविक मूल्य से अधिक डेबिट राजस्व के नुकसान की ओर ले जाता है जब एक आयातक/निर्यातक निर्धारणों के अंतिम रूप में देने पर विभेदक शुल्क के भुगतान में विफल होता है।

बैंगलुरू कमिश्नरी, आईसीडी पर मै. बीईएमएल लिमिटेड ने प्रोजेक्ट ईम्पोर्टस के अन्तर्गत ₹ 68.31 करोड़ के लिए एक बांड निष्पादित किया। आईसीडी पर बने आयातों के अतिरिक्त, आईसीडी पर निकासी के लिए अन्य पत्तनों से 90 टेलिग्राफिक रीलीज एडवाईसिज (टीआरए) प्राप्त हुई। बांड खाताबही में डेबिट की गई कुल राशि ₹ 73.88 करोड़ की थी। इसलिए, कुल डेबिट बांड मूल्य से ₹ 5.57 करोड़ की सीमा तक अधिक है।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि अनुपालन यथोचित अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आगे उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.15 बांड का अनियमित रद्दीकरण

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 2 के अनुसार बांड के अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने तक जीवित रखा जाएगा।

[17] गुजरात (आईसीडी) –खोदियार तथा कांडला), राजस्थान (जोधपुर), कर्नाटक (एसीसी, आईसीडी), एनसीएच (मैगलोर) तमिलनाडु (एअर,सी तूतीकोरन) ,केरल (कोच्ची) उत्तर प्रदेश (नोएडा कानपुर) महाराष्ट्र (2) तथा लुधियाना

चेन्नई सी कस्टम में, एक आयातक मै. आईवेक्स पेपर केमिकल्स लिमिटेड, मेदक, ने निर्धारणों के अंतिम रूप देने पर (जुलाई 2013) को विभेदक शुल्क भुगतान किया तथा ₹ 6.49 लाख के ब्याज का भुगतान अभी बाकी था। यद्यपि, विभाग ने ब्याज की उगाही को लंबित करते हुए पीडी बांड को रद्द (जुलाई 2014) कर दिया। विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा था (जनवरी 2016)।

2.16 बैंक गारंटी (बीजी) का गैर/कम निष्पादन

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 4 के अनुसार, बांड निष्पादन एक अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति के साथ कवर हो सकता है।

19 कमिश्नरियों[18] में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 28679.48 करोड़ के एक मूल्य के लिए 116259 मामलो में बांड किसी प्रतिभूति या सुरक्षा या बैंक गारंटी के बिना निष्पादित किए गए थे।

उत्तर में, अहमदाबाद कमिश्नरी के अन्तर्गत सीमाशुल्क, आईसीडी खोदियार के उपायुक्त ने कहा कि उचित अधिकारी के पास प्रतिभूति से संबंधित एक निर्णय लेने का स्वातंत्रय है। सामान्यत: एक अभ्यास के मामले के रूप में, बैंक गारंटी से छूट, तथा सावधि जमा केवल उत्पादको/स्टार ट्रेडिंग हाऊस, प्रख्यात व्यापार घरों इत्यादि को दी जाती थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रतिभूति/प्रतिभूति जमा की निश्चित प्रतिशतता, अंतिम रूप देने के लिए आयातकों/ निर्यातकों से जल्दी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सभी अनंतिम निर्धारणों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए।

अन्य कमिश्नरियों से उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.17 बैंक गारंटी का गैर पुनर्वैधीकरण

सीमाशुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 4 के अनुसार किन्ही मालके संबंध में एक आयातक या निर्यातक द्वारा एक बांड बंाड निष्पादित किया जाएगा तथा ऐसा बांड राजस्व की सुरक्षा के लिए

[18] गुजरात (खोदियार, कोडला, मुन्दरा), राजस्थान (जोधपुर), उत्तर प्रदेश (नोएडा,कानपुर), तमिलनाडु (तुतिकोरन), पंजाब तथा हरियाणा (लुधियाना), ओडिशा (भुवनेश्वर), महाराष्ट्र (आयात। एवं ।।, निर्यात । एवं ।। (एनसीएच जोन-।), एनएस-।, एनएस-।।।, एनएस*v(जेएनसीएच जोन ।।, आयात एवं निर्यात) (एसीसी जोन ।।।) कर्नाटक (।)

निर्धारणों के अंतिम रूप देने तक प्रभावी रहेगा। निष्पादित बांड केवल वहां उल्लिखित अवधि के लिए वैध है, यदि नहीं तो वैधता अवधि के अन्दर नवीकृत कराया जाए।

42 कमिश्नरियों में से बैंक गारंटी पर डाटा 8 कमिश्नरियों[19] द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो अनंतिम निर्धारणों के संबंध में प्राप्त बांड तथा बैंक गारंटी (बीजी) के मूल्य का वर्णन कर रहा था। निम्नलिखित तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका: बांड मूल्य तथा बैंक गारंटी

वर्ष	मामलों की सं.	बांड मूल्य (₹ करोड़ में)	मामलों की सं.	बीजी मूल्य (₹ करोड़ में)
2011-12	15029	23998	1820	5.31
2012-13	23207	29746	1535	1.65
2013-14	26116	29168	3295	3.10
कुल	**64352**	**82912**	**6650**	10.06

मंत्रालय ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है तथा अवधि 2011-12 से 2013-14 के दौरान अनंतिम निर्धारणों के लिए निष्पादित बैंक गारंटियों तथा 31 मार्च 2015 को उनकी स्थिति पर अखिल भारतीय डाटा प्रदान कर सकती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 450.22 करोड़ के लिए 26 कमिश्नरियों[20] में आयातको द्वारा निष्पादित 848 बैंक गारंटियां समाप्त (जुलाई 2015 तक) हो गई थी तथा वह पुनर्वैध नहीं की गई थी यद्यपि इन निर्धारणों को अंतिम रूप भी नहीं दिया गया था। **अनुबंध 10** में कुछ मामले सारणीबद्ध है।

कथित विनियम के अनुसार राजस्व की सुरक्षा के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देने तक बैंक गारंटी को जीवित रखना होगा। समाप्ति से पहले बैंक गारंटी

[19] कर्नाटक (एससीसी एनसीएच (मंगलुरू), तमिलनाडु (चैन्नई एआईआर, सी, तूतिकोरन), लुधियाना, उत्तरपदेश (नोएडा), आईसीडी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल

[20] गुजरात (खोदियार, कोडला, मुंदरा), कर्नाटक (बैंगलुरू, आईसीडी, एनसीएच, एसीसी), तमिलनाडु (सी), केरल (कोच्ची), चंडीगढ (लुधियाना), दिल्ली, (ईएक्सपी) (2) आईएमपी (2),तेलंगाना (हैदारबाद), ओडिशा (भुवनेश्वर), उत्तर प्रदेश (नोएडा, लखनऊ), महाराष्ट्र (मुम्बई, आयात । एवं ।।, निर्यात । एवं ।। (एनसीएच जोन-।), एनएस-।, एनएस-।।।, एनएस-v (जेएनसीएच जोन ।।), आयात एवं निर्यात (एसीसी जोन ।।।) पश्चिम बंगाल कोलकाता।

नवीनीकरण के लिए कार्रवाई का गैर प्रारंभ सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य को पराजित कर देता है।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा थी (जनवरी 2016)।

2.18 प्रतिभूति जमा की गैर/कम प्राप्ति

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली 2011 के विनियम 2(2) के अनुसार उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसी राशि जो अनंतिम शुल्क के 20 प्रतिशत से अधिक न हो की प्रतिभूति जमा आयातक/निर्यातक द्वारा जमा कराई जाती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 6 कमिश्नरियों[21] में 222 मामलों में प्रतिभूति जमा ₹ 21.48 करोड़ की सीमा तक प्राप्त नहीं /कम प्राप्त किया गया।

कोच्ची कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आईसीडी मथिलाकम में, 10 मामलों में प्रतिभूति जमा निर्धारित अनंतिम शुल्क की बजाए @20% के विभेदक शुल्क पर संग्रहित किया गया था जो ₹ 0.39 करोड़ के प्रतिभूति जमा के कम संग्रहण में हुई।

आईसीडी दुर्गापुर, (कोलकाता) के संबंध में विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि सभी पीडी बान्ड को भविष्य में उचित, जमानत और सुरक्षा सहित स्वीकार किया जाएगा।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.19 भंडारित माल के मामले में पीडी बांड का गैर /कम प्रस्तुतिकरण

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(2)(बी) के अनुसार भंडारित मालों के मामले में, जहाँ अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क से अधिक हो, उचित अधिकारी , आयातक को स्वयं को अधिक शुल्क की राशि के दुगने के समान एक राशि के लिए बांधने के लिए बांड निष्पादित करने की मांग कर सकता है। इस प्रकार ₹ 20 लाख मूल्य की कीमत (बांड राशि से दुगुने यानी ₹ 10 लाख) वाली निर्धारण योग्य वस्तुएं असुरक्षित रह जाती है।

[21] तमिलनाडु (चेन्नई सी, कालीकट), ओडिशा (भुवनेश्वर) उत्तर प्रदेश (कानपुर, नोएडा)

चार कमिश्नरियों[22] में 46 मामलों में ₹ 0.10 करोड़ के मूल्य के लिए बांड कम निष्पादित हुए थे।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

मंत्रालय प्रतिभूति जमा पर अखिल भारत आधार पर प्राप्त डाटा प्रदान कर सकता है।

2.20 परिचालन खामियों के अन्य मामले

2.20.1 अतिरिक्त शुल्क जमा (ईडीडी) का गैर/क्रम उदग्रहण

मूल्यांकन विवादों के मामलों में आयातकों से जल्दी प्रतिक्रिया प्राप्त करने को प्रकाश में लाने के विचार के साथ, बोर्ड ने परिपत्र सं. 11/2001 सीमा दिनांक 23/2/2001, के द्वारा विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी)को मामला भेजते समय निर्धारण योग्य मूल्य के @1% ईडीडी के भुगतान के लिए आदेश जारी किए। यदि आयातक ने एसवीबी द्वारा जारी प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर उसकी प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए, ईडीडी को उत्तर की प्रस्तुति की तिथि तक 5% बढाना होगा तथा निर्धारण उत्तर की प्राप्ति की तिथि से चार महीनो के अन्दर पूरा करना होगा।

4 कमिश्नरियों[23] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 62 मामलों में आयातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के गैर प्रस्तुतीकरण ने निर्धारण योग्य कीमत के @4% पर 1.06 करोड़ की विभेदक ईडीडी की उगाही को अपरिहार्य बना दिया, जो नहीं की गई। **अनुबंध 11** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.20.2 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य की निश्चितता) नियमावली, 2007के नियम 10 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 आयातित माल के मूल्यांकन के लिए प्रबंध करती है।

4 कमिश्नरियों[24] के अन्तर्गत रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 9 मामलों के संबंध में निर्धारण गलत मूल्यांकन या गलत वर्गीकरण के कारण कम मूल्यांकन पर अनंतिम रूप से किए गए जो ₹ 10.52 करोड़ ब्याज सम्मिलित

[22] दिल्ली (आयात,निर्यात एएनसीएच, आयात-आईसीडी, टीकेडी) तथा चेन्नई हवाई सीमाशुल्क

[23] जोधपुर,दिल्ली (पीपीजी), नोएडा, हैदराबाद

[24] जोधपुर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता पोर्ट

की राशि के शुल्क के गैर/कम उदग्रहण में परिणत हुआ। **अनुबंध 12** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.20.3 कम उतारे गए माल पर शुल्क की अनियमित वापसी

परिपत्र सं. 96/2002 सीमा दिनांक 27.12.2002 के साथ पठित सीबीईसी परिपत्र सं. 6/2006 दिनांक 12.1.2006 के अनुसार, सभी मामले जहाँ सीमाशुल्क यथामूल्य आधार पर उदग्रहणीय है, थोक चल माल का निर्धारण बिल कीमत पर आधारित होना चाहिए जो आयातित माल के लिए यानी लेन-देन मूल्य तट टैंक माप के माध्यम से जांची मात्रा पर ध्यान दिए बिना तथा जहाँ पर भी सीमाशुल्क विशिष्ट दर पर उदग्रहणीय है, मात्रा की सुनिश्चितता सीमाशुल्क के उदग्रहण के लिए प्रासंगिक होगी।

इसके अतिरिक्त जहाँ माल की उतराई कम है माल की सम्पूर्ण मात्रा प्रविष्टि बिल में अनंतिम निर्धारित रूप में मूलत: घोषित, को कम उतारी गई मात्रा के लिए कोई कटौती किए बिना अंतिम रूप में निर्धारित होगी शुल्क सम्पूर्ण प्रेषित माल पर व्यवस्थित होना चाहिए तथा कम उतराई माल पर वापसी, ऐसी वापसियों के लिए शर्तों के पूर्ण होने के उपयुक्त अवधि में बाद में प्रदान करनी चाहिए।

कोच्ची कमिश्नरी में, एक आयातक मै. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि. ने चार प्रविष्टि बिलों में मोटर स्पिरिट आयात की। तट टैंक रिपोर्ट के अनुसार लदान बिल में दिखाई गई मात्रा से प्राप्त मात्रा कम थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन मामलों में सीमाशुल्क विभाग द्वारा निश्चित तट टैंक मात्रा की आनुपातिक लेन देन मूल्य पर यथामूल्य आधार पर निर्धारित की गई जो अनियमित था। पूर्व कथित बोर्ड परिपत्र के अनुसार मामलों में जहाँ सीमाशुल्क तात्कालिक मामले में यथामूल्य आधार पर उदग्रहणीय थी, बिल मूल्य (लेन देन मूल्य) तट टैंक माप के माध्यम से सुनिश्चित मात्रा को ध्यान में रखे बिना, निर्धारण के लिए सुविचारित होना था। यह ₹ 3.40 करोड़ के शुल्क के कम उदग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अंतिमरूप देने के दौरान शुल्क गलत रूप से निर्धारित

किया तथा ₹ 0.18 करोड़ वापस किए जो ₹ 3.58 करोड़ के राजस्व के पूर्णयोग हानि में परिणत हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2015 में सूचित किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2016)।

2.21 कम उतारी गई माल के लिए दंड के गैर उदग्रहण के कारण हानि

सीमाशुल्क अधिनियम,1962 की धारा 116 के अनुसार, यदि भारत में आयात के लिए एक वाहन में लदान किया गया, कोई माल भारत में उनके लक्ष्य के स्थान पर नहीं उतारा जाता है, ढुलाई की असफलता या त्रुटि, सीमाशुल्क के एसी/डीसी की संतुष्टि से जवाब नहीं मिलता, वाहन का प्रभारी व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा जो शुल्क के दुगुने से अधिक नहीं होगा जो नहीं उतारी गई या त्रुटिपुर्ण मालपर देय होगा, जैसा मामला हो, यदि ऐसी वस्तुएं आयातित की गई हो। इसके अतिरिक्त बोर्ड के परिपत्र सं. 96/2002 सीमा. दिनांक 27 दिसम्बर 2002, के पैरा 7 के अनुसार मालिक/एजेंट का उत्तरदायित्व अवतारण के बंदरगाह पर जहाज की कमी मात्रा के साथ जहाज के लदान बंदरगाह कमी मात्रा या लदान मात्रा के बिल के साथ, यदि पहला मालिक/एजेंट द्वारा उपलब्ध कराया नहीं गया था, तुलना के द्वारा निश्चित कायम रहेगा।

चार कमिश्नरियों[25] के अन्तर्गत रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 58 मामलों में शिपिंग एजेंटो पर दंड का गैर उदग्रहण ₹ 0.65 करोड़ के राजस्व की हानि में परिणत हुआ। **अनुबंध 13** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.22 अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने पर ब्याज का गैर उदग्रहण

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत, आयातक या निर्यातक ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो महीने जिसमें शुल्क अनंतिम निर्धारित होता है, के प्रथम दिन से उसके भुगतान की तिथि तक सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 एए के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर अंतिम निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप है।

[25] जोधपुर, कोच्ची, लुधियाना, विजयवाड़ा

6 कमिश्नरियों[26] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 33 मामलो में अंतिम रूप देने पर ब्याज का गैर उदग्रहण ₹ 0.13 करोड़ के राजस्व की हानि में परिणत हुआ।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.23 प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होने पर दंड का गैर उदग्रहण

सीमा शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियमावली, 2011 के विनियम 5 के अनुसार,यदि कोई आयातक या निर्यातक, विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघनों को अवप्रेरित करता है या विनियमों के किन्ही प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल होता है, पचास हजार रूपयों तक के दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

लुधियाना तथा भुवनेश्वर कमिश्नरियों के अन्तर्गत आने वाला इकाईयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला है कि 123 मामलों में या जॉच रिपोर्ट/ वास्तविक यूजर प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक थे या अन्य दस्तावेज आयातकों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। प्रत्येक मामले में प्रावधानों के अननुपालन ने ₹ 50,000/- तक के दंड को आकृष्ट किया।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

अनंतिम निर्धारणों के अंतिम रूप देने में देरी के कारण राजकोष के राजस्व् की हानि के मामले

2.24 आवश्यक दस्तावेजों/रसायन रिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट के प्राप्ति के बावजूद अनंतिम निर्धारण में देरी/अंतिम रूप न दे पाना सीबीईसी के सीमाशुल्क नियमावली, के अध्याय 7के पैरा 3.1 के अनुसार, अनंतिम निर्धारण को 6 महीनों के अन्दर अंतिम रूप देना है। यद्यपि मशीनरी ठेको या बडी परियोजना आयातों सम्मिलित मामलों में,जहॉ आयात लम्बी अवधि के बाद होते है, ठेके द्वारा कवर आखिरी प्रेषित माल के आयात की तिथि से 6 महीनों के अन्दर निर्धारणों को अन्तिम रूप देना होता है।

36837 मामलों में 36 कमिश्नरियों में रिकार्डों की संवीक्षा, जिसमें ₹ 108389.37 करोड़ के मूल्य के बांड शामिल है, से पता चला कि मामलों का लंबन 1 से 10 वर्षों की सीमा में निम्नलिखित रूप से वर्णित है।

[26] जामनगर, समुद्र चेन्नई, कोच्ची, विशाखापट्टनम, लुधियाना, भुवनेश्वर

तालिका : अनंतिम निर्धारणों के लंबन के कारण

क्रम सं.	देरी के कारण	मामलों की सं.	बांड मूल्य (₹ करोड़)	देरी वर्षों में
1	कमी रिपोर्ट/मूल दस्तावेज की कमी के कारण लंबन	10882	71673.82	1-8
2	रसायन रिपोर्ट की कमी के कारण लंबन	3252	10153.22	1-7
3	सटीक मूल्यांकन (एसवीबी) की कमी के कारण लंबन	11641	14977.58	1-10
4	अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र की गैर उपलब्धता	1202	1136.30	1-3
5	न्यायालय में लंबित मामले	102	87.98	1-3
6	आन्तरिक लेखापरीक्षा के पूरा न होने के कारण लम्बित मामले	50	8.68	प्रमाणित नहीं
7	अन्य	9708	10351.79	1-10
	कुल	**36837**	**108389.37**	

अनुबंध 14 से 17 में अनंतिम निर्धारणों में देरी/का अंतिम रूप न दे पाना सूचीबद्ध है।

2.25 आवश्यक दस्तावेजों/रसायन रिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति लंबन के कारण अनंतिम निर्धारण में देरी/का अंतिम रूप न देना

सीमाशुल्क (निवारक) कमिश्नरी,विजयवाडा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, कृष्णापट्नम बंदरगाह पर, अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 से संबंधित 259 मामले दस्तावेजों/रसायन रिपोर्टों/मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति लंबन के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया।

विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2015) कि आयातकों से मूल दस्तावेजों, एसवीबी से मूल्यांकन रिपोर्टों तथा डीआरआई से जॉच रिपोर्टों की गैर प्राप्ति के कारण लंबित थे।

जामनगर कमिश्नरी में, ₹ 7224.42 करोड़ की एक निर्धारण योग्य मूल्य के साथ 18 बीएसई के संबंध में, दो आयातकों यथा मै. भारत ओमान रिफाइनरीज लि. जामनगर तथा मै. श्री दिग्विजय सीमेंट कॉरपोरेशन लि. ने एक से डेढ वर्ष की समय समाप्ति के बाद भी, सीमाशुल्क अधिकारियों को उनके मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। विभाग ने निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की थी।

इस प्रकार दोनो श्रेणियों में ₹ 108389.37 करोड़ की बांड मूल्य की वस्तुए असुरक्षित रही।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.26 कारण बताओं नोटिस का गैर अधिनिर्णय

सीमाशुल्क अधिनियम 1962, की धारा 28ए ए ए (3) के अनुसार, जब एक आयातक/ निर्यातक को एक एससीएन जारी किया जाता है, उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करना होगा तथा नोटिस की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर मामला के अधिनिर्णय होना होता है।

4 कमिश्नरियों[27] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि दिसम्बर 2011 तथा सितम्बर 2013 के बीच 67 मामले में एससीएन जारी किए गए थे, उन्हें अभी तक अंतिमरूप नहीं दिया गया था। 1 वर्ष से 3 वर्षों की सीमा की देरी आयातकों को अनावश्यक वित्तीय लाभ बढाने के अतिरिक्त ₹ 2.70 करोड़ की राशि शुल्क की गैर उगाही तक ले गई। **अनुबंध 18** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

2.27 परियोजना आयातों पर अनंतिम निर्धारणों के अंतिम रूप देने में देरी

परियोजना आयात विनियमावली, 1986 के विनियम 7 के अन्तर्गत आयातक को एक वक्तव्य प्रस्तुत करना होगा जो आंतरिक उपभोग के लिए अंतिम आयात की तिथि से तीन महीनों के अन्तर्गत आयातित मालके विवरण के साथ आवश्यक दस्तावेजों की ओर संकेत करता है। यदि आयातक ऐसा करने में विफल होता है, विभाग इस संबंध में निष्पादित बांड/उपक्रम नकदी सुरक्षा/ बैंक गारंटी आमन्त्रित कर सकता है शुल्क /दंड की मांग के लिए नोटिस जारी कर सकता है। बोर्ड के परिपत्र सं. 22/2011 सीमाशुल्क दिनांक 4.5.2011 द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर विभाग को निर्धारण को अंतिमरूप देना होगा।

[27] चेन्नई, समुद्र, मुम्बई (एनसीएच (3))

10 कमिश्नरियों[28] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 139 मामलों में आयातकों ने आवश्यक दस्तावेजो को प्रस्तुत नहीं किया यद्यपि अंतिम आयात 2005 से 2014 के बीच हुआ था। कांडला कमिश्नरी के अन्तर्गत दो मामलों में अंतिम आयात 2011 से 2012 के बीच किया गया था। यद्यपि, ₹ 0.40 करोड़ की बैंक गारंटी को आमंत्रित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू की गई थी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि परियोजना आयात मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.28 अंतिम निर्धारण पर विभेदक शुल्क का गैर/देरी से वसूली

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28-एएए प्रावधान करता है कि जहाँ कोई शुल्क उदग्रहित नहीं किया गया है या कम उदग्रहित या गलत ढंग से वापस या कोई देय ब्याज का भुगतान नहीं किया या निर्धारण के अंतिम रूप में हिस्से मे भुगतान किया गया है, तो उचित अधिकारी सुसंगत तिथि से एक वर्ष के अन्दर नोटिस जारी करेगा तथा ऐसे व्यक्ति को तीस दिन के अन्दर शुल्क या मांगा गया ब्याज का भुगतान करना होगा।

5 कमिश्नरियों[29] में रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि 21 मामलों में अंतिम निर्धारण जांच रिपोर्टों या अन्य सुसंगत दस्तावेजो/प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतिकरण के बावजूद देरी से किए गए जो ₹ 64.23 करोड़ की हानि तथा आयातको को अनुचित वित्तीय सहायता में परिणत हुआ। **अनुबंध 19** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

[28] कांडला आईसीडी बैंगलुरू, एनसीएच-चेन्नई समुद्र, लुधियाना,विशाखापटनम मुम्बई (एनसीएच (3) जेएनसीएच (1)।

[29] चेन्नई एआईआर, लुधियाना,विशाखापटनम, मुमबई, (एसीसी, निर्यात) कोलकाता (डंप डाटा)

2.29 विशिष्ट मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) द्वारा जांच की पूर्णता तथा निर्धारण के अंतिम रूप देने में देरी

सीबीईसी परिपत्र सं. 11/2001 सीमा दिनांक 23.2.2001 के अनुसार, विशिष्ट मूल्यांकन शाखा द्वारा निर्धारणों का अंतिम करण तथा जाँच, विशिष्ट मूल्यांकन शाखा द्वारा प्रश्नावली को आयातक के उत्तर की तिथि से 4 महीनों के अन्दर पूर्ण करना चाहिए।

24 कमिश्नरियों[30] में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 10664 मामलों में से 12489.62 करोड़ के बांड मूल्य शामिल एसवीबी/एसआईआईबी या डीआरआई इत्यादि से मूल्यांकन रिपोर्ट/मूल्य सत्यापन की कमी से 1 से 10 वर्षों की सीमा तक एक अवधि के लिए 2004 से 2014 तक लंबित थे। **अनुबंध 20** में कुछ मामले सूचीबद्ध है।

विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 2016)।

2.30 निष्कर्ष

सीमाशुल्क के अनंतिम निर्धारणों की लेखापरीक्षा से पता चला कि अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप देने में असामान्य देरी तथा राजस्व की वसूली में परिणामस्वरूप देरी हुई। ₹ 108389.37 करोड़ से अधिक के बांड मूल्य के 36000 मामलों से अधिक सीमाशुल्क राजस्व के संग्रहण के लिए 6 महीनों से परे लंबित है।

अनंतिम निर्धारण, अनंतिम शुल्क बांड तथा बैंक गारंटी प्रबंधन से संबंधित सीमा शुल्क नियमों, विनियमों के गैर अनुपालन के कई मामले थे। पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित निर्धारणों के अंतिम रूप देने में देरी तथा परिचालन अपक्रिया के मामलों की निरंतरता थी।

[30] गुजरात, (खोदियार, कांडला, मुन्दरा, जामनगर), राजस्थान (जोधपुर) कर्नाटक एसीसी, आईसीडी, एनसीएच, तमिलनाडु (वायु, समुद्र, तूतीकोरन) पंजाब, एवं हरियाणा (लुधियाना), तेलांगाना (हैदराबाद), आंध्र प्रदेश (विजयवाडा) महाराष्ट्र (आयात 1 एवं ।1, निर्यात 1 एवं ।1 (एनसीएच जोन-।)) एनएस-।, एनएस-।।।, एनएस-V (जेएनसीएच जोन।।) आयात व निर्यात) एसीसी जोन ।।।) मध्य प्रदेश (ग्वालियर, इंदौर)।

आईसीईएस 1.5 के अन्तर्गत प्रस्तुत अप्रैल 2014 से प्रभावी, अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप देने के लिए मापदंड इसकी सभी क्रियात्मकताओं के साथ सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने व्यवस्थित कमियों के अतिरिक्त किसी प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के बिना ₹ 28679.48 करोड़ मूल्य के निष्पादित बॉण्डों के जारी करने सहित ₹ 545.92 करोड़ मूल्य के मामले देखे जिन्हें परिमाणित नहीं किया जा सका।